

समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट,
नई दिल्ली.
(विकलांग कल्याण शाखा)

1580/CC
०५।०८।१५

एफ न 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2015/Part-1/ 10303

दिनांक:

04 AUG 2015

सेवा मे,

श्री तरुण कुमार,
पॉकेट ई -4, प्लॉट नं. 4,
सैक्टर 16, रोहिणी, नई दिल्ली -110089.

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।


संदर्भ: एफ न. 30(448)/19/आरटीआईन./डी डी(एसएस)/डीएसडब्ल्यू/2015-16/9613, 27/07/2015।
आई. न. 2015202 दिनांक: 22/07/2015।

महोदय,

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा मे दिनांक 27/07/2015 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा मांगी गई सूचना विकलांग कल्याण शाखा मे उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार निम्न प्रकार है:-

प्रश्न संख्या	उत्तर/ जवाब
1.	समाज कल्याण विभाग पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 1995 के अनुभाग 52 के तहत विकलांग के क्षेत्र मे काम कर रही एनजीओ को पंजीकरण प्रदान करता है। वर्तमान मे 66 एनजीओ इस एक्ट के अंतरगत पंजीकृत हैं जिनके सूची 02 रु प्रति पेज के अनुसार कुल 10 पेज का शुल्क देकर प्राप्त के जा सकती है।
2.	आवश्यक दास्तावेजों के सूची समाज कल्याण विभाग की वेब साइट socialwelfare.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।
3.	इस शाखा से संबंधित नहीं है
4.	इस शाखा से संबंधित नहीं है
5.	इस शाखा से संबंधित नहीं है

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/ अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 के समक्ष अपील कर सकते हैं।


भवदीय
०५।०८।१५

सहायक निदेशक (विकलांग)


एफ न 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2015/Part-1/ 10303

दिनांक:

04 AUG 2015

✓ सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 - समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2. उपनिदेशक, आर. टी. आई. सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002- सूचना हेतु।


भवदीय
०५।०८।१५

सहायक निदेशक (विकलांग)